नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश : 2011

राजस्थान सरकार अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) हेतु नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश:2011 बनाती है।

1. **संक्षिप्त नाम व प्रभावित क्षेत्र**
   1. ये दिशा–निर्देश राजस्थान राज्य नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2011 कहलायेगें।
   2. ये दिशा–निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगें।
   3. ये दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभावशील होंगे।
2. **परिभाषाऍं**
   - क. ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
   - ख. ''विभाग'' से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
   - ग. ''प्रमुख शासन सचिव'' से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
   - घ. ''निदेशक/आयुक्त'' से तात्पर्य निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
   - ड़. ''जिला अधिकारी'' से तात्पर्य संबंधित जिले का उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
   - च. ''नोडल ऑफिसर'' नोडल ऑफिसर से तात्पर्य मुख्यावास स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।
   - छ. ''व्यक्ति'' से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित व्यक्ति से है।
   - ज. ''परिवार'' से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित परिवार से है।
   - झ. ''समुदाय'' से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित समुदाय एवं दिशा–निर्देश 3.(ii) में उल्लेखित समुदाय से है।
   - ट. ''जिला कार्यकारी समिति'' से तात्पर्य दिशा–निर्देश 4 के अन्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से है।
   - ठ. ''स्वयंसेवी संस्था'' से तात्पर्य उस संस्था से है जो नवजीवन योजना दिशा–निर्देश–8 के अन्तर्गत हो।

3. योजना हेतु पात्रताः

(i) ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त है।

(ii) कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम एवं ढोली समुदायों के व्यक्ति

(iii) जिला कार्यकारी समिति द्वारा इस हेतु चिन्हित व्यक्ति/परिवार।

4. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति

राज्य स्तर पर नवजीवन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1	मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव (गृह)	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0	सदस्य
9	आयुक्त, आबकारी विभाग	सदस्य
10	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान	सदस्य
11	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक छः माह में एक बार आयोजित की जायेगी। उक्त समिति समय–समय पर नवजीवन योजनान्तर्गत बजट आवंटन, बजट व्यय, आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति आदि की समीक्षा एवं

नवजीवन योजना में संशोधन की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को इस हेतु सुझाव प्रदान करेगी।

5. **जिला कार्यकारी समिति का गठन :**

(1) जिला कार्यकारी समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

1. जिला कलक्टर– अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक–सदस्य
3. जिले में प्रभावित पंचायत समितियों के प्रधान–सदस्य
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–सदस्य
6. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य
7. परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम–सदस्य
8. जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य (प्रारंभिक / माध्यमिक)
9. जिला आबकारी अधिकारी– सदस्य
10. जिला श्रम अधिकारी– सदस्य
11. जिला नियोजन अधिकारी– सदस्य
12. लीड बैंक ऑफिसर–जिला अग्रणी बैंक – सदस्य
13. प्रबंध निदेशक–केन्द्रीय सहकारी बैंक – सदस्य
14. जिला कलक्टर द्वारा नामित क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित दो स्वयंसेवी संस्थाए– सदस्य
15. जिला कलक्टर द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो पात्र जातियों से संबंधित हों–सदस्य
16. चिन्हित / प्रभावित शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
17. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी– सदस्य सचिव

(2) जिला कार्यकारी समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।

(3) नवजीवन योजना को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, के स्थायी ऐजेण्डे में सम्मिलित किया जायेगा।

6. योजना की क्रियान्विति

योजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा

I प्रथम चरण :–

(अ) प्रथम चरण में अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों /समुदायों के क्षेत्र, जनसंख्या आदि का चिन्हिकरण जिला कार्यकारी समिति द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से कराया जायेगा।

(ब) व्यवसाय के दुष्प्रभावों और जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक आजीविकाएं अपनाने के लिए निम्न तरीकों से प्रोत्साहित किया जायेगा:–

(i) सभाएं आयोजित कर,

(ii) मल्टीमीडिया का प्रदर्शन कर,

(iii) नुक्कड़ नाटक आयोजित कर और

(iv) स्व–प्रेरणा/प्रोत्साहन के फलस्वरूप अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख हुए व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर।

(स) बजट राशि :–

बिन्दु (अ), (ब) के कार्य–सम्पादन हेतु स्वयंसेवी संस्थायें अपनी कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव जिला कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करेंगी, जिन्हें समिति युक्तियुक्त आधार पर अनुमोदित करेगी। स्वयंसेवी संस्था को जिला कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित बजट राशि अथवा अधिकतम 3.00 लाख रूपये (जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।

(द) राशि का भुगतान :–

राशि का दो किश्तों में भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

क्र.सं.	संस्थान का प्रकार	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	जिला कार्यकारी समिति द्वारा चयनित गैर राजकीय संगठन (NGO)	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(a) प्रथम किश्त यथासंभव स्वीकृति–पत्र के साथ जारी की जायेगी। दूसरी किश्त का भुगतान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं समापन रिपोर्ट के साथ चाही गयी अन्य जानकारियॉ प्राप्त हाने के पश्चात् दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा। अनुपयोगी राशि को विभागीय जिलाधिकारी को वापिस भिजवाना होगा।

(b) आवंटित राशि का उपयोग उसी प्रयोजन/कार्य हेतु किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन/कार्य हेतु राशि उपयोग में नहीं ली जाएगी।

(c) उक्त कार्य हेतु देय राशि या उसके किसी भी व्यय शीर्ष (Expenditure Head) में किसी भी तरह की वृद्धि की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि व्यय में कोई वृद्धि होती है तो उसे संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

II द्वितीय चरण –

1. व्यवसाय :–

द्वितीय चरण में अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े उन पात्र परिवारों/ समुदायों, जो दिशा–निर्देश 3 के अन्तर्गत आते है, के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न वैकल्पिक रोजगारों (यह सूची मात्र Indicative है) के लिए कौशल प्रशिक्षण (skill training) प्रदान किया जायेगा:–

(i) परिवहन व्यवसाय
(ii) मोजडी निर्माण व मरम्मत
(iii) मणिहारी सामान विक्रय
(iv) सौन्दर्य प्रसाधन (ब्यूटी पार्लर)
(v) लकडी के हैण्डीक्राफ्ट्स का व्यवसाय
(vi) रेडीमेड गारमेण्ट्स का व्यवसाय / टेलरिंग
(vii) कम्प्यूटर ट्रेनिंग
(viii) डेयरी
(ix) जनरल मर्चेन्डाईज
(x) बैण्ड–बाजा की दुकान
(xi) टैन्ट की दुकान
(xii) सॉस्कृतिक समूह का गठन
(xiii) शादी समारोहों में नगाड़ा, शहनाई, बाक्या आदि बजाने के व्यवसाय हेतु वाद्ययंत्र क्रय अनुदान
(xiv) वाद्य यंत्रो का क्रय एवं विक्रय की दुकान
(xv) कठपूतली का निर्माण, विक्रय, प्रदर्शन
(xvi) मोटर बाईण्डिंग एवं रिपेयरिंग
(xvii) विद्युत फिटिंग एवं उपकरण का व्यवसाय
(xviii) अन्य व्यवसाय जिसके लिए चयनित व्यक्ति निर्धारित अर्हता धारित करता हो तथा इच्छुक हो।

कौशल प्रशिक्षण उन्हीं व्यवसायों के लिए दिया जायेगा जिनके लिए प्रशिक्षण वांछित है।

2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं:–

कौशल प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाएगा :–

(i) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(ii) रूडा

(iii) जिला उद्योग केन्द्र

(iv) के.वी.आई.सी.

(v) श्रम एवं रोजगार विभाग

(vi) राजकौशल समिति

(vii) डेयरी विभाग

(viii) अन्य, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राजकीय विभाग अथवा स्वंयसेवी संस्थायें, जिसका चयन जिला कार्यकारी समिति द्वारा किया जाये।

3. कौशल प्रशिक्षण की शर्तें:–कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित लाभार्थी के द्वारा इस आशय का एक बन्धपत्र/शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह स्वयं अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख है तथा अपने परिवारजनों को भी इससे विमुख रखने की शपथ लेता है।

4. कौशल प्रशिक्षण की अवधि:– कौशल प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 3 माह होगी। यह अवधि चयनित रोजगार के लिए वांछित कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार जिला कार्यकारी समिति के द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

5. कौशल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :– किसी भी कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए 25 प्रशिक्षणार्थियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। इन प्रशिक्षणार्थियों में से यदि कोई प्रशिक्षाणार्थी पहले सप्ताह में प्रशिक्षण को छोड़ते हैं या निरन्तर अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान पर बचे हुये पॉच चयनित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में शामिल कर लिया जाये। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 18 से कम होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

6. कौशल प्रशिक्षण बजट राशि :– विभिन्न समयावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को दी जाने वाली बजट राशि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	गैर आवासीय कार्यक्रम		विशेष टिप्पणी
	अवधि	रूपये	
1	40 दिवस / 240 घण्टे	52,333	कार्य दिवसों की गणना 6 घंटे प्रतिदिन प्रशिक्षण के अनुसार की गयी है। यदि प्रशिक्षण समय (न्यूनतम) 4 घंटे प्रतिदिन रखा जाता है तो कार्य दिवसों की संख्या उसी हिसाब से बढेगी।
2	50 दिवस / 300 घण्टे	63,684	
3	60 दिवस / 360 घण्टे	75,036	
4	70 दिवस / 420 घण्टे	86,388	
5	80 दिवस / 480 घण्टे	97,740	
6	90 दिवस / 540 घण्टे	1,09,092	

7. प्रशिक्षण हेतु राशि का भुगतान :– प्रशिक्षण हेतु निर्धारित राशि का दो किश्तों में भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

क्र.सं.	संस्थान का प्रकार	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रूड़ा, जिला उद्योग केन्द्र, के.वी.आई.सी., श्रम एवं रोजगार विभाग, राजकौशल समिति, डेयरी विभाग	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2	जिला कार्यकारी समिति द्वारा चयनित गैर राजकीय संगठन (NGO)	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(a) प्रशिक्षण आयोजन हेतु प्रथम किश्त यथासंभव स्वीकृति–पत्र के साथ जारी की जायेगी। दूसरी किश्त का भुगतान कार्यक्रम पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं समापन रिपोर्ट के साथ चाही गयी अन्य जानकारियॉ प्राप्त हाने के पश्चात् दिशा–निर्देशानुसार किया जाएगा। अनुपयोगी राशि को प्रशिक्षण समाप्त होने के 15 दिवस में विभागीय जिलाधिकारी को वापिस भिजवाना होगा।

(b) आवंटित राशि का उपयोग उसी प्रयोजन / कार्य हेतु किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन / कार्य हेतु राशि उपयोग में नहीं ली जाएगी। यदि प्रथम किश्त के भुगतान के तीन माह के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था या तो उस राशि को विभागीय जिलाधिकारी को वापस कर दें या जिला कार्यकारी समिति को विलम्ब के कारणों का तर्क संगत औचित्य प्रतिपादित करते हुये उससे कार्यक्रम को आगामी तिमाही में आयोजित करने की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें।

(c) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु देय राशि या उसके किसी भी व्यय शीर्ष (Expenditure Head) में किसी भी तरह की वृद्धि की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि व्यय में कोई वृद्धि होती है तो उसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(d) लेखो का अंकेक्षण :– राजकीय, स्वयं सेवी व अन्य गैरराजकीय संस्थान आवंटित बजट के अनुसार उपयोग की गयी राशि का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) तथा अंकेक्षित व्यय विवरण (Statement of Audited Expenditure) जो सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) द्वारा प्रमाणित हो जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही चार्टेट अकाउण्टेन्ट के प्रिन्टेट लैटर हेड पर प्राप्त की गयी ऑडिट रिपोर्ट भी प्रेषित करेगे।

(e) कार्यक्रम व्यय संबंधी लेखे कभी भी चाहे जाने पर अंकक्षेण हेतु नियुक्त एजेंसी को जॉच हेतु उपलब्ध कराने होंगे।

8. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति एवं अवकाश :– चूंकि ये अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, इसलिये संस्थाऐं प्रशिक्षणार्थियों की शत्–प्रतिशत् उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

(a) उपस्थिति :– पंजिका में उपस्थिति अंकित करवाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों के हस्ताक्षर करवाये जावें ना कि P अथवा अन्य शब्दों का प्रयोग किया जावें।

(b) जब भी किसी कारणवश लगातार तीन दिन से अधिक के लिये संस्थान बन्द रहता है या प्रशिक्षण बाधित होता है तो इसकी सूचना जिला कार्यकारी समिति को भेजनी होगी। प्रशिक्षण की अवधि में अवकाश के लिये राजस्थान सरकार के कलेन्डर का अनुसरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण–स्थल के बाहर व अन्दर बैनर लगाये जायेगें।

9. संस्था का चयनः–

(a) जिले में योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु जिला कार्यकारी समिति द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर बिन्दु संख्या 6, II, 2 के (i) से (viii) तक वर्णित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित कर, संस्था का चयन किया जायेगा।

(b) जहॉ तक संभव हो जिला कार्यकारी समिति स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन में उन संस्थाओं को वरीयता प्रदान करेगी, जो योजनान्तर्गत

पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित समुदायों/जातियों के द्वारा संचालित है।

III तृतीय चरण –

(i) ऋणदाता संस्थाएँ:–

उपर्युक्त चरणों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास एवं सहकारी निगमों के द्वारा ऋण एवं अनुदान तथा वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा व अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।योजनान्तर्गत उपरोक्त ऋणदाता संस्थाओं को संबंधित जिला कार्यकारी समिति द्वारा लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे।

(ii) शिक्षा

(अ) योजनान्तर्गत पात्र परिवारों/समुदायों के स्कूल जाने योग्य बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ब्रिजकोर्स एवं आवासीय विद्यालय संचालित किये जायेंगे।

(ब) उक्त चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

(स) उक्त चिन्हित लाभार्थियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु उन्हें संबंधित अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विभागीय छात्रावासों में प्रवेश दिया जायेगा।

(द) माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत उक्त परिवारों के छात्र/छात्राओं को व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रमों जैसे पीएमटी, पीईटी, एमबीए, बीसीए, एमसीए आदि में प्रवेश के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के अनुसार कोचिंग हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान कोचिंग की लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. (जो भी कम हो) होगा। यह अनुदान सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा।

(iii) मूलभूत सुविधाएँ:–

ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां अवैद्य मदिरा निर्माण में लिप्त परिवार समूह के रूप में रह रहे हैं एवं जहॉ भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत कार्य नहीं हुआ हो वहॉ उन बस्तियों में आवश्यकतानुसार बिजली, सड़क, पेयजल, स्कूल भवन आदि आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु कुल आवंटित बजट की 25 प्रतिशत तक की राशि जिला कार्यकारी समिति की अनुशंषा के आधार पर खर्च की जा सकेगी।

7. **अनुदान एवं बजट प्रावधान**

(i) बिन्दु संख्या 6 II 2 में उल्लेखित संस्थाओं के माध्यम से परियोजना इकाई के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को अनुसूचित जाति/ जनजाति/ सफाई कर्मचारी/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्प संख्यक/राष्ट्रीय विकलांग, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की योजनाओं के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा व अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंक आदि) के द्वारा उक्त लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) यदि उक्त निगमों की ऐसे लाभार्थियों के लिए कोई योजना लागू नहीं है तो प्रत्येक लाभार्थी के प्रकरण में जिला कार्यकारी समिति के द्वारा ऋण देने वाले संबंधित वित्तीय संस्थान को कुल ऋण राशि की 25 प्रतिशत राशि, जो कि अधिकतम 50,000/– रू. होगी, ऋण अनुदान (loan subsidy) के रूप में प्रदान की जाएगी।

(iii) अनुदान की राशि (स्वीकृत ऋण की राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50,000/– रूपये) जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित ऋण दायी संस्था को लाभार्थी के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

(iv) इस योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की अवधि में चयनित व्यक्ति/महिला को प्रतिमाह 2000/– रू. की वृत्तिका (Stipend) का भुगतान किया जाएगा।

(v) कौशल प्रशिक्षण की अवधि में इस बन्धपत्र/शपथ पत्र का उल्लंघन करने पर लाभार्थी को प्रतिमाह प्रदान की जा रही वृत्तिका राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा।

(vi) निदेशालय, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जिलाधिकारियों को आवश्यक बजट का आवंटन किया जायेगा।

(vii) इस योजना के लिए वित्तीय स्रोत आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि होगी।

8. **प्रक्रिया** :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति/परिवार के द्वारा निम्न प्रकार जिलाधिकारी को आवेदन किया जाएगाः–

(i) आवेदक/आवेदिका सादे कागज पर अपनी फोटो के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) आवेदन के साथ उसके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदन पत्र में विशिष्ट वृत्ति, जिसका प्रशिक्षण आवेदक/ आवेदिका प्राप्त करना चाहता/चाहती है का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति का संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(v) प्राप्त समस्त आवेदन जिलाधिकारी के द्वारा जिला कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

9. **स्वयंसेवी संस्था** :–

(i) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा,

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 525 के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी अथवा,

(iv) इसका विधिवत् रूप से एक प्रबंध निकाय गठित हो जिसकी शक्तियां, कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित होने चाएि तथा लिखित में निर्धारित होने चाहिए।

(v) संगठन तीन वर्ष से पंजिकृत रहा हो एवं पंजीकृत दिनांक से अब तक किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हो।

10. **दिशा–निर्देशों में शिथिलता**

इन दिशा–निर्देशों में किसी भी प्रकर की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन दिशा–निर्देशों की व्याख्या निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी जो अन्तिम एवं बंधनकारी मानी जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव

आवेदन–पत्र

प्रपत्र–1

सेवा में,

..... (प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान का नाम)

.....

.....

फोटो

महोदय,

मैं नवजीवन योजनान्तर्गत आपके संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है :–

1. नाम :– .....
2. आयु :– .....
3. जाति :– .....
4. पिता / पति का नाम :– .....
5. स्थाई पता :– .....

   .....
6. शैक्षणिक योग्यता :– .....
7. पारिवारिक आमदनी :– .....
8. प्रशिक्षण पाठ्क्रम का नाम जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं .....

   .....
9. इस दक्षता / कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनने के विशिष्ठ कारण ?

   .....
10. प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैने नवजीवन योजनान्तर्गत संचालित किसी अन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक .....

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ 15 ( ) न.मु./नवजीवन/सान्याअवि/2011/ 12099 जयपुर, दिनांक: 23-2-12

संशोधन आदेश

नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2011 में तृतीय चरण के बिन्दु (iii) ***मूलभूत सुविधायें*** में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है - "ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां अवैद्य मदिरा निर्माण में लिप्त परिवार समूह के रूप में रह रहे हैं एवं जहां भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत कार्य नहीं हुआ हो वहां उन बस्तियों में आवश्यकतानुसार बिजली, सड़क, पेयजल, स्कूल भवन आदि आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु कुल आवंटित बजट की 40 प्रतिशत तक की राशि जिला कार्यकारी समिति की अनुशंषा के आधार पर खर्च की जा सकेगी।"

यह आदेश वित्त विभाग की आई0डी0संख्या–101200283दिनांक 25.1.2012 के क्रम में जारी किये जाते है।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ 15 ( ) न.मु./नवजीवन/सान्याअवि/2011/ 12100-200 जयपुर, दिनांक: 23-2-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव।
5. समस्त, प्रमुख शासन सचिव।
6. आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर।
7. समस्त, विभागाध्यक्ष। समस्त जिला कलक्टर्स
8. समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् .....
9. प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., ...
10. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि,.....
12. गार्ड पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

D:\Deepbag shingl\Order.doc